

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,
बड़कोट

पत्रांक 806/42020

दिनांक 14/06/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट।

विषय: जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री रा0रा0मा0 संख्या-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी हेतु लो0नि0वि0 बड़कोट को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 2969/12-1 दिनांक, बड़कोट, दिनांक जून 12, 2017. प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/20210/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर लगाई गई आनलाइन आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नलिखित है।

क्र० स०	आपत्ति	निराकरण
1.	67 trees as per hectare does not account for 0.5 density. The state govt may review the density and correct the NPV rate accordingly.	This point is related to DFO and may be corrected by DFO in online part II.
2.	Though the attested copy of proposal is provided but it does not serve the purpose. The State Govt may provided hard copy of the proposal containing original documents to this office	The hard original copy of the proposal has been submitted at DFO office by letter no. 251/4 Bhu AA dt. 08/02/2017

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों का अपने स्तर से निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर आनलाइन आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे साथ ही प्रस्ताव की original hard copy मूल में भारत सरकार को प्राप्त कराने हेतु आपको पत्रांक संख्या 251/4 भू0 अ0 दिनांक 08/02/2017 द्वारा एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को आपके पत्रांक 1824/12-1, दिनांक फरवरी 10, 2017 द्वारा प्रेषित किया जा चुकी है।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट

पत्रांक 806/42020
प्रतिलिपि:-

सहायक अभियन्ता I, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट को इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी अपर, यमुना वन प्रभाग बड़कोट से सम्पर्क कर व्यक्तिगत कार्यवाही करने का कष्ट करें।।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट